

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किए गए व्यय के रिएम्बर्समेंट हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

नवीनीकरण मद अंतर्गत लंबित दायित्वों की पूर्ति हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

जिला एवं अन्य मार्ग अंतर्गत किए गए कार्यों के लंबित एवं स्थायी दायित्वों के भुगतान हेतु विशेष मरम्मत अंतर्गत राशि ₹ 700 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 4

महाराजपुर बरेठटोला मार्ग पर सुखा नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण तथा मोखली-बाकल-पनेका मार्ग पर शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

एन.एच. 63 (16) मारेंगा से एन.एच. 30 (43) (आड़ावाल) बायपास मार्ग रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण एवं बाराद्वार यार्ड पर ब्लॉक कि.मी. 649/21-23 पर एल.सी. नं. 328 रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि हेतु राज्य शासन द्वारा व्यय अंतर्गत आकस्मिकता निधि से ₹ 200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद क्रमांक 6

केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत एन.एच. 63 (16) मारेंगा से एन.एच. 30 (43) (आड़ावाल) बायपास मार्ग रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण, बाराद्वार यार्ड पर ब्लॉक कि.मी. 649/21-23 पर एल.सी. नं. 328 रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज निर्माण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद क्रमांक 7

सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिये गये ऋण की अदायगी हेतु राशि ₹ 110000 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1100,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।